न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

26/2019

महावीर प्रसाद पुत्र राधेश्याम भाट ग्राम पोस्ट घाड़ जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 8–8–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 2–5–2019 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी किन्तु सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों एंव प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:–

1–ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल कितने सामुदायिक भवन एंव हटायों का निर्माण अब तक करवाया गया एंव वस्तुस्थिति केसी है ओर उनका उपयोग किस प्रकार एंव किन के द्वारा किया जाता रहा है। पूर्ण स्थिति मय फोटोग्राफी एंप निर्माण योजना, सम्पूर्ण जानकारी देवें।

2–श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दिनांक 24–8–2018 को पत्र कमांक 3017–18 दिनांक 27–8–2018 को पत्र कमांक 3023/18 दिनांक 31–10–18 को पत्र कमांक 3090/18 प्रस्तुत किये गये थे उक्त तीनों पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें।

3–ग्राम पंचायत घाड के कम में दिनांक 1–1–2010 से दिनांक 30–4–2019 तक जारी किये गये भूमि के पट्टों को सूचना नाम, पिता या पति का नाम जाति भूमि का खसरा नम्बर तहसील से रजिस्टर्ड या केवल पंचायत द्वारा जारी सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट एंव साफ पड़ने योग्य उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर टोंक से जवाब तलब किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 783 दिनांक 7–8–2019 से अवगत करया कि अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही सूचना के सम्बन्ध में पत्र कमांक 562 दिनांक 24–6–2019 से आवेदक को सूचित किया जा चुका है कि आपके प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित विभाग, पुलिस अधीक्षक टोंक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक/ देवली व तहसीलदार दूनी को भिजवाया गया है तथा उक्त पत्रों की प्रतियॉ भी संलग्न कर भिजवाई गई हैं। चूँकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है तथा जवाब की प्रति अपीलान्ट ने स्वंय ने भी अपील के साथ संलग्न की है। आवेदक ने उक्त विभागों से सूचना प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया ओर न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी है अपील सारहीन होने सेः कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner